



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना धामपुर

दिनांक 26.11.2024

थाना धामपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 185/24 धारा 452/323/325/307/504/506/427/34 भादवि से संबंधित बाल अपचारी अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.04.2024 को वादी श्री बाबू पुत्र इस्तियाक नि0 ग्राम भगवानवाला थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.गुलफाम पुत्र स्व0 बाबू 2. दिलशाद पुत्र स्व0 बाबू 3.अरमान पुत्र गुलफाम 4.नाजरा पत्नी गुलफाम नि0गण ग्राम भगवानवाला थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी व वादी के परिवारजनों के साथ घर में घुसकर गाली गलौच करते हुए मारपीट की तथा घर में तोडफोड की। अभियुक्तगण ने वादी की पत्नी को जान से मारने की नियत से उसके सिर पर वार किया जिससे वह घायल हो गयी तथा वादी के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी।

तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 185/24 धारा 452/323/325/307/504/506/427/34 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 26.11.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 185/24 धारा 452/323/325/307/504/506/427/34 भादवि से संबंधित बाल अपचारी अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नोट- थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त दिलशाद पुत्र बाबू व गुलफाम पुत्र बाबू को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

बाल अपचारी का नाम व पता-

1- एक बाल अपचारी

पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री हरीओम गौतम थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

2-आरक्षी 752 रविमान थाना धामपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – यातायात पुलिस

दिनांक – 26.11.2024

यातायात माह नवम्बर – 2024 के क्रम में यातायात पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण ।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन में यातायात निदेशालय द्वारा आयोजित यातायात माह के तहत सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जनपद में बड़े पैमाने पर वाहनों की चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ।

वाहनों की चेकिंग एवं चालान –

कुल 924 वाहनों का चालान किया गया ।

20,500/- रुपये का शमन शुल्क वसूला गया ।

उल्लंघन एवं कार्यवाही –

सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहन – 70 ट्रकों का चालान

लकड़ी ढुलाई करने वाले वाहन – 02 ट्रैक्टरों का चालान

डग्गामार बस – 01 बस सीज चालान

अधिक गति (ओवर स्पीडिंग) – स्पीड रडार का प्रयोग करते हुए 56 वाहनों का चालान

दुपहिया वाहनों का अनाधिकृत प्रयोग – 03 वाहनों का चालान

सड़क सुरक्षा उपाय –

कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई गयी ।

उद्देश्य –

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अंकुश लगाना, दुर्घटनाओं को कम करना और वाहन चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित करना है । यह अभियान पूरे नवंबर माह के दौरान जारी रहेगा ।

यातायात पुलिस द्वारा की जा रही इस कार्यवाही से सड़क सुरक्षा में सुधार होने और नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है ।







जनपद बिजनौर
प्रेस नोट—थाना हीमपुर दीपा

दिनांक 26.11.2024

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 172/24 धारा 64/115(2)/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 15.11.2024 को वादिया ने थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि दिनांक 11.11.2024 को अभियुक्त अफजल पुत्र नबाब निवासी ग्राम सब्दलपुर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने वादिया के साथ मारपीट कर गलत काम किया तथा जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 172/24 धारा 64/115(2)/351(3) बीएनएस बनाम अफजल उपरोक्त पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही—

आज दिनांक 26.11.2024 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 172/24 धारा 64/115(2)/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त अफजल पुत्र नबाब निवासी ग्राम सब्दलपुर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. अफजल पुत्र नबाब निवासी ग्राम सब्दलपुर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. व0उ0नि0 श्री कर्मवीर सिंह तालान थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
2. का0 2571 सुमित कुमार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
3. का0 1980 फैय्याज थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट – थाना नहतौर

दिनांक – 26.11.2024

थाना नहतौर पुलिस ने मु0अ0सं0 397/2024 धारा 109/115(2)/352/351(3) बी.एन.एस. में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 25.11.2024 को वादी श्री ज्योति कुमार पुत्र श्री हरि सिंह निवासी ग्राम नवादा चौहान थाना नहतौर जनपद बिजनौर द्वारा थाना नहतौर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 24.11.2024 को अभियुक्तगण 1.राजू पुत्र जय सिंह, 2.राजीव पुत्र जय सिंह, 3. कृष्णा पुत्र राजू, 4.जय सिंह पुत्र हरकेश निवासीगण ग्राम नवादा चौहान थाना नहतौर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पिता हरि सिंह के साथ गाली गलौच करकी गयी तथा विरोध करने पर मारपीट की गयी एवं जान से मारने की नियत से सिर पर लोहे की रॉड से वार किया व जान से मारने की धमकी दी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 397/2024 धारा 109/115(2)/352/351(3) बी.एन.एस. बनाम राजू आदि कुल 04 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 26.11.2024 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त राजू पुत्र जय सिंह निवासी ग्राम नवादा चौहान थाना नहतौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राजू पुत्र जय सिंह निवासी ग्राम नवादा चौहान थाना नहतौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

- 1.उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 2.कां0 1345 विक्रान्त राणा थाना नहतौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट – थाना नहतौर

दिनांक – 26.11.2024

थाना नहतौर पुलिस ने मु0अ0सं0 340/2024 धारा 376/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 29.09.2024 को वादिया द्वारा थाना नहतौर पर तहरीर दी गयी कि मौ0 शाहनवाज पुत्र मौ0 नासिर निवासी मौ0 रामलीला ग्राउण्ड दसवां घाट थाना नगफनी जनपद मुरादाबाद ने शादी का झांसा देकर वादिया के साथ गलत काम किया तथा इसमें 2.कु0 महताब पुत्री मौ0 नासिर 3.मौ0 नासिर पुत्र मौ0 अ0 अजीज निवासीगण उपरोक्त द्वारा सहयोग किया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 340/2024 धारा 376/504/506 भादवि बनाम मौ0 शाहनवाज आदि कुल 03 नफर पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 26.11.2024 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मौ0 शाहनवाज पुत्र मौ0 नासिर निवासी मौ0 रामलीला ग्राउण्ड दसवां घाट थाना नगफनी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मौ0 शाहनवाज पुत्र मौ0 नासिर निवासी मौ0 रामलीला ग्राउण्ड दसवां घाट थाना नगफनी जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री भारत सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. हे0का0 797 सचिन मलिक थाना नहतौर जनपद बिजनौर
3. का0 1941 नवीन कुमार, थाना नहतौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट—थाना शिवालाकलां

दिनांक 26.11.2024

थाना शिवालाकलां पुलिस ने दो अभियुक्तों को अवैध शस्त्रों सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 25.11.2024 को थाना शिवालाकलां पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1.सुजीत कुमार पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम कमालपुर खालसा थाना नौगांवा सादात जनपद अमरोहा को एक देशी पिस्टल 32 बोर व एक तमंचा 315 व 07 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा अभियुक्त 2. पुष्पेन्द्र पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम हिसामपुर उर्फ श्यामपुर थाना नौगांवा सादात जनपद अमरोहा को एक तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर तथा एक स्पलेण्डर प्लस मोटर साईकिल नं0— यूपी 20बी0आर0—1396 सहित गिरफ्तार किया गया।



इस संबंध में थाना शिवालाकलां पर मु0अ0सं0 142/24 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम सुजीत कुमार व पुष्पेन्द्र उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता—

1—सुजीत कुमार पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम कमालपुर खालसा थाना नौगांवा सादात जनपद अमरोहा।

2—पुष्पेन्द्र पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम हिसामपुर उर्फ श्यामपुर थाना नौगांवा सादात जनपद अमरोहा।

बरामदगी का विवरण—

1—अभियुक्त सुजीत के कब्जे से—एक अदद देशी पिस्टल 32 बोर व एक अदद तमंचा मय 07 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

2—अभियुक्त पुष्पेन्द्र के कब्जे से—एक अदद देशी तमंचा मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर तथा अभियुक्तगण से एक स्पलेण्डर प्लस मोटर साईकिल नं0— यूपी 20बी0आर0—1396

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1—थानाध्यक्ष श्री वीरेन्द्र कुमार थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

2—उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

3—उ0नि0 श्री तनवीर अहमद थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

4—का0 1535 अमित सहगल थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

5—का0 2060 सोनू थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट-थाना नगीना देहात

दिनांक 26.11.2024

थाना नगीना देहात पुलिस ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.11.2024 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा गस्त/चेकिंग के दौरान अभियुक्त शबील हसन पुत्र अख्तर हुसैन निवासी जोगीरम्पुरी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को एक तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 249/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. शबील हसन पुत्र अख्तर हुसैन निवासी जोगीरम्पुरी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण-

एक तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री ललित कुमार शर्मा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 633 रविन्द्र कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
3. आरक्षी 802 सोहनवीर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नांगल

दिनांक 26.11.2024

स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना नांगल पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड में हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को घायल अवस्था मे किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गए 02 भैंसवंशीय पशु तथा अवैध शस्त्र बरामद ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 25/26.11.2024 की रात्रि मे थाना नांगल पुलिस को सराय आलम नहर की पुलिया पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 24/25.11.2024 की रात्रि में ग्राम बाकरपुर से चोरी हुए 02 पशुओ के साथ 04 चोर कस्बा नांगल के पास स्थित आम के बाग मे मौजूद है । सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर



पहुंचकर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया । पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग मे एक अभियुक्त के पैर मे गोली लगी, जिसे मौके पर ही पुलिस टीम द्वारा घायल अवस्था मे हिरासत मे लिया गया तथा उपचार हेतु जिला अस्पताल बिजनौर मे भर्ती कराया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के अन्य तीन साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा जंगल मे कॉबिंग की जा रही है । फरार अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमो का गठन किया गया है । मौके से चोरी किये गए 02 भैंसवंशीय पशु (01 भैंस व 01 भैंसा) बरामद हुए । (इस संबंध मे थाना नांगल पर मु0अ0सं0 171/24 धारा 303(2) बनाम अज्ञात पंजीकृत है ।)

घायल अभियुक्त ने अपना नाम सुभान उर्फ भूरा पुत्र बाबू कुरैशी निवासी ग्राम भनेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर बताया तथा मौके से फरार अन्य तीन साथियों के नाम 1.वसीम उर्फ चींची पुत्र अब्दुल शमी निवासी कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर, 2.सादक पुत्र शमीम तथा 3.भोला पुत्र शमीम निवासीगण ग्राम दिनौडा थाना नांगल जनपद बिजनौर बताये । अभियुक्त शुभान के कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस बरामद हुए । इस संबंध मे थाना नांगल पर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

नोट - अभियुक्त सुभान थाना किरतपुर का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानों पर डेढ दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

सुभान उर्फ भूरा पुत्र बाबू कुरैशी निवासी ग्राम भनेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण -

1-चोरी के दो भैंसवंशीय पशु (01 भैंस व 01 भैंसा) ।

2- एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर ।

हिस्ट्रीशीटर सुभान का आपराधिक इतिहास –

1-मु0अ0सं0 100/2020 धारा 147/148/188/269/270/307/323/332/353/504/506 भादवि व 51

आपदा प्रबंधन अधि0 व 07 सीएल एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

2-मु0अ0सं0 126/19 धारा 379 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

3-मु0अ0सं0 163/19 धारा 379 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

4-मु0अ0सं0 208/19 धारा 380 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

5-मु0अ0सं0 234/19 धारा 379 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

6-मु0अ0सं0 236/19 धारा 307/399/402 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

7-मु0अ0सं0 238/19 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर ।

8-मु0अ0सं0 233/23 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।

9-मु0अ0सं0 365/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना नगीना जनपद बिजनौर ।

10-मु0अ0सं0 907/2022 धारा 379/411/413 भादवि 4/25 शस्त्र अधि0 थाना को0 शहर जनपद बिजनौर

11-मु0अ0सं0 535/2023 धारा 379/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।

12-मु0अ0सं0 413/23 धारा 380/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।

13-मु0अ0सं0 414/23 धारा 8/22 एनडीपीएक्स एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

14-मु0अ0सं0 392/23 धारा 379/411 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

15-मु0अ0सं0 127/24 धारा 380/411 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

16-मु0अ0सं0 207/24 धारा 307 भादवि व 3/25 शस्त्र अधि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

17-मु0अ0सं0 72/24 धारा 380/411 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

18-मु0अ0सं0 129/24 धारा 380/411 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

19-मु0अ0सं0 171/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर

2-निरीक्षक श्री सचिन मलिक, प्रभारी स्वाट टीम जनपद बिजनौर

3-उ0नि0 तेजपाल सिंह, प्रभारी सर्विलांस मय टीम जनपद बिजनौर

4-उ0नि0 श्री प्रवेज कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर

5-उ0नि0 श्री उपेन्द्र सिंह थाना नांगल जनपद बिजनौर

6-का0 156 रोहित कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर

7-का0 1878 अंकित कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर

8-हे0का0 549 विकास कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर

9-हे0का0 762 प्रवीण चौहान थाना नांगल जनपद बिजनौर

10-का0 91 प्रवीण देशवाल थाना नांगल जनपद बिजनौर